<u>न्यायालयः- विशिष्ट न्यायाधीश, अ.जा./अ.ज.जा. (अ.नि.प्र), झालावाड़ (राज.)</u>

पीठासीन न्यायाधीश - **सुनीता मीणा,** आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

सैशन प्रकरण संख्या - 136/2021

(सी.आई.एस.नं.-136/2021)

राजस्थान राज्य

(अभियोगी)

बनाम

विक्रम सिंह पुत्र गंगाराम, उम्र 38 वर्ष, निवासी क्यासरा, पुलिस थाना डग, जिला-झालावाड़ (राज.) **– अभियुक्त**

अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323, 504, 506 भा.दं.सं. एवं
धारा 3-1(r)(s), 3-2(va) एस.सी./एस.टी.एक्ट

उपस्थितः-

1- श्री महेश पाटीदार, विशिष्ट लोक अभियोजक, राज.राज्य की ओर से।

2- श्री गजेन्द्र कुमार, अधिवक्ता, अभियुक्त की ओर से।

<u>निर्णय</u> **दिनांकः-13.03.2026**

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 22.08.2021 को परिवादी/मजरूब भगवान लाल पुत्र गमेरलाल, उम्र 40 वर्ष, निवासी क्यासरा चौराहा द्वारा जैर इलाज एस.के. हॉस्पीटल, भवानीमण्डी पर दिया गया पर्चा बयान (प्रदर्श पी.-2), पुलिस थाना डग पर इस आशय के तथ्यों का प्राप्त हुआ कि वह गांव क्यासरा चौराहा थाना डग का रहने वाला है। दिनांक 20.08.2021 को समय करीब 10-11 बजे रात्रि की बात है। वह भोजन करके राखी का सामान लेने क्यासरा गांव में प्रेम सेठ की दुकान पर गया था, वहां से राखी त्यौहार का सामान लेकर वह घर आ रहा था कि चौराहा का मंदिर के पास खड़े विक्रम सिंह पुत्र गंगाराम निवासी क्यासरा ने उसे रूकने के लिये आवाज लगाई। वह नहीं रूका व कहा कि रात्रि का समय है, वह घर जा रहा है। इस पर विक्रम सिंह उसके आगे आकर आडे फिर कर उसे रोक लिया तथा उसे गाली-गलौच करते हुए, कहने लगा कि मेरे कहने पर रूकता नहीं है और कहते हुए थप्पड़ों व घुसों की उसके साथ चहरे पर मारपीट करने लगा, जिससे वह गस खाकर नीचे गिर गया, तो पड़े हुए के उसके कमर पर लातों से मारपीट की। बाद में गांव वालों ने बीच-बचाव कर उसे पीटने से बचाया, तो विक्रम सिंह घर चला गया। जाते हुए कल फिर मारने-पीटने की धमकी देकर चला गया। वह किसी तरह संभलकर घर आकर सो गया। दिनांक

21.08.2021 को सांय करीब 4-5 बजे उसकी ज्यादा तबीयत खराब होने पर उसने मारपीट की घटना उसके बड़े भाई पूरालाल को बताई, जो उसे ईलाज हेतु सी.एच.सी. डग लेकर आये और रैफर करने पर अब एस.के अस्पताल, भवानीमण्डी में उसका ईलाज चल रहा है, इत्यादि।

2- उक्त आशय के तथ्यों के पर्चा बयान के आधार पर पुलिस थाना डग पर प्रथम सूचना रिपोर्ट सं.-158/2021, अन्तर्गत धारा 341, 323, 504, 506 भा.दं.सं. व धारा 3-1(r)(s) एस.सी./एस.टी.एक्ट में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। बाद आवश्यक अनुसंधान दिनांक 11.10.2021 को अभियुक्त के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323, 504, 506 भा.दं.सं. व धारा 3-1(r)(s) एस.सी. /एस.टी.एक्ट के अपराध में आरोप पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिस पर उक्त अपराध में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

3- बहस चार्ज सुनी जाकर दिनांक 15.11.2021 को अभियुक्त विक्रम सिंह को धारा 341, 323, 504, 506 भा.दं.सं. व धारा 3-1(r)(s), 3-2(va) एस.सी./ एस.टी.एक्ट के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये, तो अभियुक्त ने आरोप सुन व समझकर अपराध से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

4- दौराने अन्वीक्षा अभियोजन पक्ष की ओर से अपनी मौखिक साक्ष्य में गवाह पी.ड.-1 पूरालाल, पी.ड.-2 भगवान लाल, पी.ड.-3 गोविन्द लाल, पी.ड.-4 बृजमोहन मीणा व पी.ड.-5 पीरूलाल एवं पी.ड.-6 डॉ. चन्द्रप्रकाश शर्मा के बयान लेखबद्ध करवाये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी.-1, पर्चा बयान प्रदर्श पी.-2, परिवादी/मजरूब का जाति प्रमाण पत्र प्रदर्श पी.-3, पुलिस बयान गोविन्द लाल प्रदर्श पी.-4, मुलजिम का नोटिस धारा 41 दं.प्र.सं. प्रदर्श पी.-5, फर्द चैक लिस्ट मुलजिम प्रदर्श पी.-6, फर्द गिरफ्तारी मुलजिम प्रदर्श पी.-7, अभियुक्त की गिरफ्तारी की सूचना परिवादी को दिये जाने का नोटिस प्रदर्श पी.-8 व चोट प्रतिवेदन मजरूब भगवान लाल प्रदर्श पी.-9 को प्रदर्शित करवाया।

5- साक्ष्य अभियोजन की समाप्ति पर अभियुक्त का परीक्षण अन्तर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. (351 बी.एन.एस.एस.) किया गया, तो अभियुक्त ने अभियोजन साक्षीगण के कथनों को गलत होना बताते हुए, गवाहान द्वारा झूठ बोलना व स्वयं का निर्दोष होना बताते हुए, साक्ष्य सफाई पेश करने से इन्कार किया, जिस पर प्रतिरक्षा साक्ष्य बन्द की गई।

6- बहस अन्तिम उभय पक्षकारान सुनी गयी।

7- दौराने बहस विशिष्ट लोक अभियोजक का तर्क रहा है कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त सन्देह से परे प्रमाणित है। अभियोजन पक्ष के समस्त साक्षीगण ने अभियोजन कहानी का पूर्ण रूप से समर्थन किया है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध के लिए दोषसिद्व घोषित किये जाने का निवेदन किया।

8- इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क रहा है कि प्रकरण का सबसे महत्वपूर्ण साक्षी परिवादी पी.ड.-2 भगवान लाल ने उसके द्वारा दिये गये पर्चा बयान के विपरीत कथन अपने बयानों में किये है तथा उसने अपने बयानों में नाली में गिर जाना बताया है, जिससे उसके चोटें आयी है। अभियुक्त द्वारा उसके साथ किसी प्रकार की कोई मारपीट नहीं की है। परिवादी के साथ मारपीट की घटना दिनांक 20.08.2021 को होना बताया है तथा उक्त मारपीट की घटना उसके भाई को बताये जाने पर पर्चा बयान दिनांक 22.08.2021 को लिया गया है। गवाह पी.ड.-1 पूरालाल परिवादी का भाई है, जिसने परिवादी/मजरूब द्वारा बतायी गयी घटना के बारे में बयान दिये है। प्रकरण का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी पी.ड.-3 गोविन्द लाल पक्षद्रोही घोषित हुआ है, जिसने अभियोजन कहानी का लेश मात्र भी समर्थन नहीं किया है। गवाह पी.ड.-6 डॉ. चन्द्रप्रकाश शर्मा ने मजरूब के चोटें ठोस धरातल पर गिरने-पड़ने से आना बताया है। प्रकरण में गवाह पी.ड.-4 बृजमोहन अनुसंधान अधिकारी है, जिसने अनुसंधान के संबंध में औपचारिक साक्ष्य दी है। अतः अभियुक्त को सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किये जाने का निवेदन किया है।

9- उभय पक्षकारान के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में निर्णय हेतु न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु निम्नलिखित हैः-

> **''क्या अभियुक्त ने दिनांक 20.08.2021 को रात्रि क करीब 10.00 बजे या इसके लगभग मौजा गांव क्यासरा चौराहे पर परिवादी भगवान लाल के साथ मारपीट करने के आशय से उसे राह जाते हुए को रोककर उसका सदोष अवरोध कारित कर उसे इच्छित दिशा में जाने से निवारित किया, जिस दिशा में उसे जाने का विधिक अधिकार था तथा परिवादी भगवान लाल के साथ इस आशय से या यह संभाव्य जानते हुए कि उसे उपहति कारित होगी, स्वेच्छया कुन्दालय हथियार से मारपीट कर साधारण उपहति कारित की तथा परिवादी की लोक शांति भंग करने के**

आशय से उसके साथ गाली-गलौच कर उसे अपमानित किया तथा उसे जान से मारने की धमकी देकर उसे अभित्रस्त कारित किया तथा परिवादी के जाति से मेघवाल होकर अनुसूचित जाति का सदस्य होना जानते हुए, उसे जनता के लिये दृष्टिगोचर सार्वजनिक स्थान पर जाति सूचक शब्दों से संबोधित कर अपमानित एवं प्रकोपित किया तथा उसके साथ उक्त अपराध कारित किये ?''

10- उक्त अवधारणीय बिन्दु की पुष्टि हेतु अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 06 गवाहान को परीक्षित करवाया गया है, जिसमें से गवाह पी.ड.-1 पूरालाल परिवादी का भाई है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि इसी साल राखी के 2 दिन पहले की बात है। वे चार भाई है। विक्रम सिंह और उसके भाई भगवान लाल के बीच में रात को 9-10 बजे लडाई-झगडा हुआ था। विक्रम ने उसके भाई भगवान लाल के साथ लातों व घुसों से मारपीट की थी, मारपीट से उसके भाई के कमर व पेट व मूंह पर लगी थी। फिर वह उसके भाई को बाद में अस्पताल ले गया था। जब लडाई-झगडा हुआ, उस समय वह वहां पर नहीं था। पुलिस ने उससे पूछताछ की थी। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी.-1 बनाया, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में स्वीकार किया है कि उसने कोई घटना नहीं देखी थी। आगे स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी.-1 पर उसके हस्ताक्षर पुलिस ने खाली कागज पर करवाये थे।

11- गवाह पी.ड.-2 भगवान लाल स्वयं परिवादी/मजरूब है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि इसी साल राखी से 2 दिन पहले रात को करीब 8-9 बजे की बात है। वह सामान लेकर घर पर आ रहा था। रास्ते में चौराहे के मन्दिर के पास उसे विक्रम सिंह मिला और उसने उससे कहा कि आओ बिडी पीयो तो उसने उससे कहा कि आज वह लेट हो गया, वह आज नहीं रूकूंगा। तो इस पर विक्रम सिंह उसके साथ जबरदस्ती करने लगा और उसे गालियां देने लगा। उसने उससे कहा कि गालियां क्यों दे रहे हो तो उसने कहा कि तुम मेरा क्या करोंगे और यह कहकर वो उसके साथ मारपीट करने लगा। विक्रम सिंह उसके साथ लातों-घुसों से मारपीट करने लगा उसने उसके पेट पर, उसके पोते पर, उसके पीछे मारपीट की, जिससे वह नाली में गिर गया। फिर उसे उसका भाई पूरालाल घर ले गया और अस्पताल ले गया। पुलिस ने उसका बयान लिया था। पर्चा बयान प्रदर्श पी.-2 है, जिस पर एक्स स्थान पर उसका अंगुठा निशानी अंकित है। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी.-1 बनाया, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसका जाति प्रमाण पत्र लिया, जो प्रदर्श पी.-3 है। पुलिस ने उसके शरीर पर

आयी चोटों का मेडिकल करवाया था। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में स्वीकार किया है कि उस दिन वह अकेला ही सामान लेकर आ रहा था। आगे स्वीकार किया है कि विक्रम सिंह उसका दोस्त था।

12 गवाह पी.ड.-3 गोविन्दलाल प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि करीब 6-7 महीने पहले रात के 10-11 बजे की बात है। वह उसके घर पर था। गांव में भगवान जी व विक्रम के बीच झगडा हुआ था। भगवान जी गांव में काम करके आ रहे थे, रास्ते में विक्रम ने शराब के नशे में भगवान जी के साथ मारपीट की थी। ये बात उसने सुनी थी। यह बात उसने सुनी थी। पुलिस ने उसके बयान लिये थे। उक्त गवाह **पक्षद्रोही** घोषित हुआ है, जिसने अभियोजन कहानी का लेश मात्र भी समर्थन नहीं किया है।

13- गवाह पी.ड.-4 बृजमोहन मीणा अनुसंधान अधिकारी है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि दिनांक 23.08.21 को वृताधिकारी वृत गंगधार के पद पर कार्यरत रहते हुए, पुलिस थाना डग के प्रकरण सं.-158/21, अन्तर्गत धारा 341, 323, 504, 506 भा.दं.सं. व धारा 3 एस.सी./एस.टी. एक्ट की पत्रावली अनुसंधान हेतु उसे प्राप्त हुई थी। दौराने अनुसंधान परिवादी भगवानलाल व गवाहान पीरुलाल, भूरालाल के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध किये थे। घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी.-3 है, जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर तथा सी से डी परिवादी व ए से बी एवं जी से एच गवाहान के हस्ताक्षर है। परिवादी का जाति प्रमाण पत्र लेकर शामिल पत्रावली किया, जो प्रदर्श पी.-3 है। मजरुब का मेडिकल करवाकर चोट प्रतिवेदन शामिल पत्रावली किया। बाद अनुसंधान मुलजिमान विक्रम सिंह के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323, 504, 506 भा.दं.सं. व धारा 3 एस.सी./एस.टी. एक्ट का प्रमाणित पाये जाने पर मुलजिम को नोटिस दफा 41 दं.प्र.सं. दिया, जो प्रदर्श पी.-5 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। नोटिस की पालना नहीं होने पर मुलजिम को जरिये फर्द गिरफ्तार किया, चैक लिस्ट प्रदर्श पी.-6 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर व एक्स स्थान पर मुलजिम का अंगूठा निशानी अंकित है। फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी.-7 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर व सी से डी एवं ई से एफ गवाहान के हस्ताक्षर तथा एक्स स्थान पर मुलजिम का अंगूठा निशानी अंकित है। अभियुक्त की गिरफ्तारी की सूचना फरियादी को दिये जाने का नोटिस प्रदर्श पी.-8 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर तथा सी से डी परिवादी के हस्ताक्षर है। बाद अनुसंधान मुलजिम के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने पर चार्जशीट माननीय न्यायालय में थानाधिकारी थाना डग श्री बन्नालाल द्वारा पेश की गई थी। अधिवक्ता अभियुक्त

द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में स्वीकार किया है कि पत्रावली में परिवादी के परिजन के अलावा अन्य कोई गवाह नहीं है। आगे स्वीकार किया है कि फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी.-7 में एक गवाह पुलिसकर्मी है व एक गवाह मुलजिम का परिचित है। आगे स्वीकार किया है कि लडाई-झगडा मंदिर भगवान श्री राम के पास हुआ था।

14- गवाह पी.ड.-5 पीरूलाल प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि करीब 2-3 साल पहले रात के करीब 8-9 बजे की बात है। वह उसके घर से प्रेम सेठ की दुकान की तरफ जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि भगवान लाल के साथ विक्रम सिंह गाली-गलौच कर मारपीट कर रहा था। उसने दोनों के बीच समझाईश कराई। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में स्वीकार किया है कि घटना का समय रात के करीब 8-9 बजे था। आगे स्वीकार किया है कि भगवान लाल के साथ झगडा कर रहा था, उसके थप्पड वगैरह मार रहा था। आगे स्वीकार किया है कि दोनों का बीच-बचाव कराकर वह वहां से चला गया था।

15- गवाह पी.ड.-6 डॉ. चन्द्रप्रकाश शर्मा चिकित्सक साक्षी है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि दिनांक 27.08.2021 को सी.एच.सी. डग में चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत रहते हुए, पुलिस थाना डग के प्रतिवेदन पर उसके द्वारा मजरूब भगवानलाल के शरीर पर आई चोटों का मेडीकल किया गया था। दौराने परीक्षण मजरूब के शरीर पर निम्न चोटें पाई गई थी- चोट सं.-1 निलगू निशान साईज 4*4 सेमी दोनों गालों पर। चोट सं.-2 निलगू निशान साईज 2*2 पीठ के निचले भाग पर। चोट सं.-3 निलगू निशान साईज 2*2 पेट के मध्य में। उपरोक्त सभी चोटें साधारण प्रकृति की व कुंदालय से कारित थी। उसके द्वारा तैयार किया गया चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी.-9 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर व सी से डी मजरूब का पहचान चिन्ह अंकित है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में स्वीकार किया है कि सभी चोटें ठोस धरातल पर गिरने-पड़ने से आ सकती है।

16- अभियुक्त पर आरोपित अपराध के संबंध में मजरूब पी.ड.-2 भगवान लाल के बयानों का अवलोकन किया जाये तो अपने बयानों में स्वयं द्वारा दिये गये पर्चा बयान प्रदर्श पी.-2 की ताईद करते हुए घटना की रात्रि 8-9 बजे यह सामान लेकर घर आ रहा था तो रास्ते में इसे अभियुक्त मिला और कहा कि आओ बीड़ी पीयो, जिस पर इसने मना करते हुए कहा कि आज वह लेट हो गया और अभियुक्त उसके साथ जबरदस्ती करने लगा और गालियां देने लगा। जब इसने मना किया तो अभियुक्त ने इसके साथ लातों-घुसों से मारपीट की, जिससे यइ नाली में गिर गया। फिर इसका भाई पूरालाल घर व अस्पताल ले गया। प्रतिपरीक्षा में यह

स्वीकार करता है कि अभियुक्त विक्रम सिंह इसका दोस्त था। गवाह पी.ड.-1 पूरालाल परिवादी/मजरूब भगवान लाल का ही भाई है, जो अपने बयानों में इस बात की ताईद करता है कि अभियुक्त विक्रम ने इसके भाई भगवान लाल के साथ लातों व घुसों से मारपीट की थी, जिससे उसके कमर, पेट व मूंह पर चोट आई थी। फिर यह अपने भाई को अस्पताल ले गया। यद्यपि यह कहता है कि लड़ाई-झगड़े के समय वहां मौजूद नहीं था तथा प्रतिपरीक्षा में भी स्वीकार करता है कि इसने कोई घटना नहीं देखी, लेकिन घटना के तुरन्त पश्चात् मजरूब भगवान लाल को मजरूबी हालत में देखे जाने के बारे में सम्पुष्टिकारक और सुसंगत साक्ष्य देता है तथा घटना के उपरान्त परिवादी/मजरूब भगवान लाल के बताये अनुसार यह अभियुक्त विक्रम द्वारा भगवान लाल के साथ मारपीट करना बताता है। इस प्रकार मजरूब भगवान लाल के घटना के पश्चात् घायल अवस्था में होने व मजरूब द्वारा स्वयं के साथ मारपीट करने वाले के रूप में अभियुक्त विक्रम सिंह का नाम बताया जाना परिवादी के पश्चातवर्ती सुसंगत व सम्पुष्टिकारक आचरण को दर्शाता है। गवाह पी.ड.-5 पीरूलाल भी अपने बयानों में कहता है कि रात्रि के करीब 8-9 बजे यह अपने से प्रेम सेठ की दुकान की तरफ जा रहा था। रास्ते में इसने देखा कि अभियुक्त विक्रम सिंह भगवान लाल के साथ गाली-गलौच कर मारपीट कर रहा था और इसने दोनों के बीच समझाईश कराई। इस प्रकार यह गवाह भी परिवादी के बयानों की इस हद तक ताईद करता है कि अभियुक्त विक्रम सिंह द्वारा भगवान लाल के साथ गाली-गलौच व मारपीट की गयी। चिकित्सक साक्षी गवाह पी.ड.-6 चन्द्रप्रकाश शर्मा के अनुसार भी दिनांक 27.08.2021 को मजरूब भगवान लाल के दोनों गालों पर, पीठ के नीचले भाग पर और पेट के मध्य में निलगूनुमा निशान मौजूद थे व चोट साधारण प्रकृति की कुन्दालय हथियार से कारित थी। इस प्रकार यह मजरूब के चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी.-9 की ताईद करता है। चिकित्सक द्वारा बतायी गयी चोटों से मजरूब पी.ड.-2 भगवान लाल व उसके भाई पी.ड.-1 पूरालाल के बयानों की सम्पुष्टि होती है, जिसने मजरूब के कमर, पेट व मूंह पर चोट आना बताया था। गवाह पी.ड.-4 बृजमोहन मीणा अनुसंधान अधिकारी है, जिसने स्वयं द्वारा किये गये अनुसंधान के संबंध में औपचारिक साक्ष्य दी है तथा उसके बयानों के दौरान भी ऐसा कोई विरोधाभासी तथ्य सामने नहीं आया है, जिससे इस बात का अनुमान लगाया जा सके कि अभियुक्त ने मजरूब भगवान लाल के साथ मारपीट नहीं की हो। इस प्रकार अभियोजन की साक्ष्य से यह सन्देह से परे साबित है कि अभियुक्त विक्रम सिंह ने मजरूब भगवान लाल को राह जाते हुए को रोककर सदोष अवरोधित किया व उसके साथ गाली-गलोच की व उसके साथ कुन्दालय हथियार से मारपीट कर साधारण उपहतियां कारित की, जिसके लिये अभियुक्त

विक्रम सिंह धारा 341, 323, 504 भा.दं.सं. के तहत् दोषसिद्ध घोषित किये जाने योग्य हैं।

17- जहां तक अभियुक्त पर आरोपित अपराध धारा 506 भा.दं.सं. का संबंध है। परिवादी की ओर से ऐसा कोई कथन नहीं किया गया है कि अभियुक्त विक्रम सिंह द्वारा उसे जान से मारने की धमकी दी गयी हो या अन्यथा अभित्रास कारित किया हो। अतः अभियुक्त विक्रम सिंह धारा 506 भा.दं.सं. के तहत् सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किये जाने योग्य है।

18- जहां तक अभियुक्त पर आरोपित अपराध धारा 3-1(r)(s) एस.सी./एस.टी. एक्ट का संबंध हैं। परिवादी ने न तो अपने बयानों और ना ही पर्चा बयानों में ऐसा कोई कथन किया है कि अभियुक्त ने उसे जाति सूचक शब्दों से संबोधित किया हो या अपमानित किया हो और ना ही इस बाबत् कोई पत्रावली पर कोई साक्ष्य पेश हुई है। अतः अभियुक्त विक्रम सिंह धारा 3-1(r)(s) एस.सी./एस.टी. एक्ट के तहत् सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किये जाने योग्य है।

19- जहां तक अभियुक्त पर आरोपित अपराध धारा 3-2(va) एस.सी./एस.टी. एक्ट का संबंध है। स्वयं परीवादी/मजरूब पी.ड.-2 भगवान लाल ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि अभियुक्त विक्रम सिंह इसका दोस्त था। अतः अभियोजन की ओर से पेश की गयी सम्पूर्ण साक्ष्य को देखते हुए अभियुक्त विक्रम सिंह व मजरूब भगवान लाल आपस में दोस्त थे तथा घटना की दिनांक को अभियुक्त विक्रम सिंह ने परिवादी भगवान लाल को रूकने के लिये कहा और उसके न रूकने से व्यथित होकर उसने उसके साथ उक्त मारपीट व गाली-गलौच की घटना कारित की। अतः हस्तगत प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए विशेष कर जबकि परिवादी व अभियुक्त दोस्त थे, ऐसा लेश मात्र भी प्रतीत नहीं होता है कि अभियुक्त विक्रम सिंह ने परिवादी भगवान लाल के अनुसूचित जाति का सदस्य होने के कारण या अनुसूचित जाति का सदस्य होना जानते हुए उसके साथ मारपीट की हो। ऐसी स्थिति में इस न्यायालय के विनम्र मत में अभियुक्त विक्रम सिंह धारा 3-2(va) एस.सी./एस.टी. एक्ट के तहत् सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः अभियुक्त विक्रम सिंह पुत्र गंगाराम, उम्र 38 वर्ष, निवासी क्यासरा, पुलिस थाना डग, जिला-झालावाड़ (राज.) को अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323,

504 भा.दं.सं. के तहत् दोषसिद्ध घोषित किया जाता है तथा अभियुक्त को अपराध अन्तर्गत धारा 506 भा.दं.सं. व धारा 3-1(r)(s), 3-2(va) एस.सी./एस.टी. एक्ट के तहत् सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

(सुनीता मीणा)
विशिष्ट न्यायाधीश,
अ.जा./अ.ज.जा.(अ.नि.प्र.),
झालावाड़ (राज.)

दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई-

दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। विद्वान अधिवक्ता, अभियुक्त का तर्क है कि अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है, पूर्व दोषसिद्धि की कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अभियुक्त वर्ष 2021 से प्रकरण की अन्वीक्षा भुगत रहा है। अभियुक्त को अन्य अपराध के आरोपों में सन्देह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया गया है। अतः अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख अपनाया जावे।

(2) इसके विपरीत विद्वान अपर लोक अभियोजक ने उक्त तर्कों का कड़ा विरोध करते हुए अभियुक्त को उचित दण्ड से दण्डित किए जाने का निवेदन किया।

(3) उभय पक्षकारान के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का पुनः अवलोकन किया। अभियुक्त वर्ष 2021 से करीब 4 वर्ष से अधिक अवधि की इस प्रकरण की अन्वीक्षा की वेदना भुगत चुका है। अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है, क्योंकि उसकी कोई पूर्व दोषसिद्धि जाहिर नहीं की गयी है। अभियुक्त को अन्य अपराध के आरोपों से दोषमुक्त किया गया है। प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों व अभियुक्त की स्थिति को देखते हुए उसे अपराधी परिवीक्षा का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

दण्डादेश

अतः अभियुक्त विक्रम सिंह पुत्र गंगाराम, उम्र 38 वर्ष, निवासी क्यासरा, पुलिस थाना डग, जिला-झालावाड़ (राज.) को अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323, 504 भा.दं.सं. के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोपों में दोषी पाए जाने पर यह आदेश दिया जाता है कि यदि अभियुक्त अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की **धारा 4** के तहत **10,000/-रुपये** का स्वयं का **मुचलका** एक वर्ष की अवधि के लिए शांति व सद्व्यवहार बनाए रखने, अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करने एवं जब भी न्यायालय द्वारा तलब किया जावे, उपस्थित आने की शर्त के साथ प्रस्तुत कर

तस्दीक करवा दें, तो उसे इस प्रकरण में सदाचारिता की परिवीक्षा पर छोड़ दिया जावे, अन्यथा दण्डादेश सुनाया जावेगा। साथ ही अभियुक्त परिवीक्षा अधिनियम की **धारा 12** के तहत् उपरोक्त दोषसिद्धि के आधार पर पूर्व में या भविष्य में किसी निर्योग्यता/निर्हरता से ग्रसित नहीं होगा।

2- प्रकरण के तथ्य व परिस्थितियों को देखते हुए परिवादी भगवान लाल को पीड़ित प्रतिकर योजना के अधीन प्रतिकर दिलवाये जाने हेतु अनुशंषा किया जाना उचित नहीं पाया जाता है।

(सुनीता मीणा)
विशिष्ट न्यायाधीश,
अ.जा./अ.ज.जा. (अ.नि.प्र.),
झालावाड़ (राज.)

निर्णय आज दिनांक **13.03.2026** को पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(सुनीता मीणा)
विशिष्ट न्यायाधीश,
अनु.जा./अनु.ज.जा. (अ.नि.प्र.),
झालावाड़ (राज.)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि निर्णय/आदेश में किये गये सभी संशोधनों को अपलोड करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है।

KAMLESH TAILOR
Steno Gr. I
"Authenticate document"
Digitally signed by KAMLESH TAILOR
Date: 2026.03.19 16:24:31 +0530

नोटः यह प्रतिलिपि प्रार्थी/अधिवक्ता की जानकारी के लिए है। सत्यापित प्रतिलिपि न्यायालय से प्राप्त कर सकते है।